Diary No. 2733 dtd. 9/8/24
Despatch No......... dtd.........
Office of the F.O.U.O.A.

Office of the Registrar
No. R-7442
Date 08/08/24
University of Allahabad

अति महत्वपूर्ण/ईमेल

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य, राज्य/केन्द्रीय/निजी विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थान जनपद प्रयागराज।

पत्रांक: C-1478/स०क०/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2024-25 दिनांकः 06/08/2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सी-1439 दिनांक 26 जुलाई 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार कराने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश ज़ारी किये गए हैं। आप अवगत हैं कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार प्रसार राज्यस्तरीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व पैम्पलेट के माध्यम से तथा कॉलेजों/मण्डलायुक्त/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/ब्लॉक/पंचायत भवन आदि कार्यालयों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तत्कम में शासन द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है:-

1. नियमावली के मुख्य बिंदु यथा- AKTU व BTE के नॉन-काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि JEE Mains/JEECUP एवं CUET की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृति देय होगी, से सभी सम्बंधित पक्षों को अवगत करवाएं।

2. 75% या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को ही छात्रवृति देय है इसलिए छात्रों को प्रतिदिन होने वाली कक्षाओं में अध्ययन हेतु अवश्य सम्मिलित होने के निर्देश सभी छात्रों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करें।

3. छात्र/संस्था/विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करने हेतु जागरूक एवं संवेदनशील रहें।

4. ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमों के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें, किसी भी दशा में संस्था या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदन को पेंडिंग न रखे और गलत या फर्जी छात्रों या फर्जी अभिलेखों पर आधारित डाटा को अग्रसारित न करें।

5. पाठ्यक्रमों संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को अनुस्मारित किया जाता है कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक किया जाय। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किये जाएँ।

वित्त अधिकारी
02-08-2024
Finance Officer
Allahabad University
DR (A&C)

नरेन्द्र कुमार शुक्ल
कुलसचिव
08/08/24
REGISTRAR
कुलसचिव

09/08/24

6. किसी भी दशा में संस्था/विश्वविद्यालय स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक छात्रों के आवेदन अग्रसारित न करें अन्यथा विचलन की स्थिति में शासनादेशानुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजकर यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

7. कई विश्वविद्यालयों ने गत वर्ष पाठ्यक्रमों में फीस को लॉक नही किया था, इसलिए आपको पुनः आगाह किया जाता है कि सभी पाठ्यक्रम की फीस लॉक की जाय व गलत छात्रों का डाटा सत्यापित न करके ऐसे डाटा को ब्लॉक किया जाय।

8. संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के घोषित परीक्षाफल को विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल साइट पर अपलोड किया जाय। सभी संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्रों के गत वर्ष के परीक्षाफल में सही-सही पूर्णांक व प्राप्तांक को भरा जाय तथा दो सेमेस्टर होने पर दोनों सेमेस्टर के पूर्णाक व प्राप्तांक को जोड़कर पेज में यथास्थान भरवाया जाय।

9. भारत सरकार के पत्र दिनांक 05-06-2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद की सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि आप द्वारा छात्रों को सूचित किया जाय कि छात्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाय, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग अवश्य करवाई जाय।

10. भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में INO/HOI का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले छात्रों INO/HOI ही छात्रों के आवेदन अग्रसारित कर सकेंगे। उक्त कार्य एन०0आई0सी0 के माध्यम से यथाशीघ्र कराई जायेगी, से सभी सम्बन्धित पक्षों को सूचित किया जाय।

11. छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे।

अतः अपेक्षित है कि शासन द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त के सम्बन्ध में किये गए प्रयासों से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करवाएं।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(डा० प्रज्ञा पाण्डेय)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

पत्रांकः / स०क०/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2024-25/ तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-**निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
3. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से सम्बंधित तहसीलों में नोटिस बोर्ड/पैम्पलेट/ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त खंड विकास अधिकारी, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से सम्बंधित ब्लाक कार्यालयों में नोटिस बोर्ड/पैम्पलेट/ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा), प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
7. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।

8. संयुक्त निदेशक, आई०टी०आई०, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
9. रजिस्ट्रार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
10. रजिस्ट्रार, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।।
11. जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों/वेबसाइट आदि के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
12. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी शिक्षण संस्थाओं को ई-मेल/दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त निर्देशों को प्रचारित कराने का कष्ट करें।
13. **सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त का प्रकाशन आज ही दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क कराने का कष्ट करें।**
14. उपनिदेशक, समाज कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
15. समस्त रजिस्ट्रार/निदेशक/प्राचार्य एवं प्रधानाचार्य, जनपद प्रयागराज को इस अपेक्षा के साथ कि शासन द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

ई–मेल

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– स्ती-1439 /स0क0/शिक्षा–अ/4/602–2/2024–25

लखनऊ : दिनांकः 26 जुलाई, 2024

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार कराने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अवगत हैं कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय–सारिणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार प्रसार राज्यस्तरीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व पैम्पलेट के माध्यम से तथा कॉलेजों/मण्डलायुक्त/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/ब्लॉक/पंचायत भवन आदि कार्यालयों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं के अनुसार प्रचार–प्रसार करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जानी हैः–

1– नियमावली के मुख्य बिंदु यथा– AKTU व BTE के नॉन काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि JEE Mains/JEECUP & CUET की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृति देय होगी, से सम्बन्धित को अवगत कराया जाय।

2– 75% या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृति देय है, इसलिए छात्र प्रतिदिन होने वाली कक्षाओं में अध्ययन हेतु अवश्य सम्मिलित होने के निर्देश दिये जाय।

3– छात्र/संस्था/विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करने हेतु संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिये जाय।

1116

पत्र प्राप्ति
पटल सहा0......21/07
दिनांक......26/7/24
स0क0अधि0 प्रयागराज

4– संस्थाओं को सचेत किया जाय कि ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमो के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें, किसी भी दशा में संस्था या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदन को पेंडिंग न रखे और गलत या फर्जी छात्रों या फर्जी अभिलेखों पर आधारित डाटा अग्रसारित न करें, से सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

5– संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को निर्देशित करें कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही DSC से लॉक किया जाय। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाय।

6– किसी भी दशा में संस्था/विश्वविद्यालय स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक छात्रों के आवेदन अग्रसारित न करें तथा विचलन की स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जाय।

7– कई विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों में फीस लॉक नही किया था, इसलिए चेतावनी दिया जाय कि सभी पाठ्यक्रम की फीस लॉक की जाय व गलत छात्रों का डाटा सत्यापित न करके डाटा को ब्लॉक किया जाय।

8– संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के घोषित परीक्षाफल को विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल साइट पर अपलोड किया जाय। संस्थाओं को सूचित किया जाय कि छात्रों के गत वर्ष के परीक्षाफल में सही–सही पूर्णांक व प्राप्तांक को भरा जाय तथा दो सेमेस्टर होने पर दोनों सेमेस्टर के पूर्णांक व प्राप्तांक को जोड़कर पेज में यथा स्थान भरवाया जाय।

9– भारत सरकार के पत्र दिनांक 05–06–2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सूचित किया जाय कि छात्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाय, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग अवश्य करवाई जाय, से सम्बन्धित को सूचित करते हुए उक्त प्रकिया का प्रचार–प्रसार किया जाय।

10– भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में INO/HOI का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले INO/HOI ही छात्रों के आवेदन

अग्रसारित कर सकेंगे। उक्त कार्य एन0आई0सी0 के माध्यम से यथाशीघ्र कराई जायेगी, से सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

11– छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे, इस प्रक्रिया का भी प्रचार–प्रसार किया जाय।

12– माननीय मंत्रिपरिषद के उपरांत गत वर्ष 2023–24 के सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के कतिपय प्रकरणों में छात्रवृति दिए जाने हेतु 15 जुलाई से पोर्टल खोला गया है। इस क्रम में डी0एल0एड0 व स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पाठ्यक्रम, जिनके परीक्षाफल समयान्तर्गत घोषित न होने, ट्रांजेक्शन फेल, पी0एफ0एम0एस0 आदि से भी छात्र वंचित हुए थे, ऐसे संस्थाओं व उनके माध्यम से छात्रों को सूचित करते हुए उक्त का भी प्रचार–प्रसार किया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा बजट की आवश्यकता हो तो शीघ्रता से निर्धारित प्रक्रियानुसार मांग पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्लकः–यथोक्त

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

No. K-14011/3/2024-SCD-V

Government of India

Ministry of Social Justice and Empowerment

(Department of Social Justice and Empowerment)

Shastri Bhawan, New Delhi

Date: 4th June 2024

To

All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Additional Secretary/Incharges
Social Welfare Department SC/OBC Welfare Department/
State Nodal Officers (SNOs) of all States/UTs

Subject: **Utilising the facilities/services of India Post Payment Bank (IPPB) of Department of Posts/ Government of India for opening of accounts of Pre and Post- Matric Scholarship Scheme for SCs beneficiaries.**

Respected Sir/Madam,

The Department of Social Justice & Empowerment implements Centrally Sponsored Scholarship Schemes for SCs namely:-

(i) Pre-Matric Scholarships Scheme for SCs & Others: The scheme aims to support through financial assistance, parents of children belonging to Schedules Caste and other disadvantaged categories for education of their wards studying at the Pre-Matric stage so that their participation improves, the incidence of drop-out - especially in the transition from the primary to the next level and elementary to the secondary stage - is minimized, they perform better and have a better chance of progressing to the Post-Matric stage of education.

(ii) Post-Matric Scholarships Scheme for SC Students (PMS-SC): The objective of the scheme is to appreciably increase the Gross Enrolment Ratio of SC students in higher education with a focus on those from the poorest households, by providing financial assistance at post-matriculation or post-secondary stage to enable them to complete their education.

2. Many States/UTs have informed that due to non-Aadhaar seeding of bank accounts of the applicants, the disbursement process could not be completed on time, especially for the applicants residing in remote areas. It is informed that IPPB has huge and vast network capacity specially in the rural, remote and hilly areas.

3. All States/UTs are advised, if deemed appropriate, may coordinate with the concerned IPPB authorities under the Department of Posts at the State/UT level in reaching out to applicants and prospective beneficiaries and connecting with them so that the accounts of such applicants may be opened and Aadhaar seeding with Bank Accounts done so that the disbursement process can be completed in a faster rate. They may consider encouraging beneficiaries to open accounts in IPPB or any other bank having similarly facility ensuring DBT. Utilizing the facilities of IPPB will be an additional option available with the eligible applicants.

4. This issues with the approval of Secretary, D/o SJ&E.

Yours faithfully,

(Gottimukkala Vijay Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Email: g.vijaykumar@nic.in

Copy for information to:

(i) Sh. Roopesh Kumar, Pr. CCA, M/o Social Justice & Empowerment and M/o Education
(ii) Smt. Sanchita Shukla, Jt. CGA, PFMS, D/o Expenditure
(iii) Sh. Gursharan Rai Bansal, CGM & CSMO, India Post Payments Bank (IPPB), Bhai Vir Singh Marg, Gole Market, New Delhi-110001
(iv) Commissioners/Directors - Social Welfare Department SC/OBC Welfare Department SC/OBC Welfare Department/State Nodal Officers (SNOs) of all States/UTs dealing with Pre- and Post-Matric Scholarship Scheme for SCs with a request to provide necessary assistance and support.